



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-एम.पी.-अ.-18072025-264774
CG-MP-E-18072025-264774

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3192]

No. 3192]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 17, 2025/आषाढ़ 26, 1947

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 17, 2025/ASHADHA 26, 1947

रेल मंत्रालय

(पश्चिम मध्य रेलवे)

अधिसूचना

भोपाल, 11 जुलाई, 2025

का.आ. 3262(अ).— केंद्रीय सरकार, रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 2 के खंड (37 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद द्वारा “इटारसी - भोपाल - बीना चौथी रेल लाइन परियोजना” को जन प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय अवसंरचना प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य के नर्मदापुरम, रायसेन, सीहोर, भोपाल, विदिशा और सागर जिले में भूमि अधिग्रहण हेतु आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित किया जाता है।

[कंप्यूटर न. 330954 फा. सं. पमरे- बीपीएल सीओ इंजि (एमआईएससी)/82/2025-ओ/ओ डीवायसीइ/ सी-।/ बीपीएल]

विजय पाण्डे, मुख्य परियोजना प्रबंधक, निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS**(West Central Railway)****NOTIFICATION**

Bhopal, the 11th July, 2025

S.O. 3262(E).— In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways (Amendment) Act 2008, The Central Government hereby notifies “**ITARSI - BHOPAL - BINA 4th line project**” as **Special Railway Project** for acquisition of land in the state of Madhya Pradesh in the District of Narmadapuram, Raisen, Sehore, Bhopal, Vidisha and Sagar for providing National Infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

[Computer No.330954 F.No.WCR-BPLCOENGG(Misc.)/82/2025-O/o Dy.CE/C-I/BPL]

VIJAY PANDEY, Chief Project Manager, Construction